राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 05/2024

निर्णय दिनांक :– 6/6/2024.

प्रार्थीयां :–

सुधा कुंवर पत्नी श्री यशपालसिंह राणावत, जाति–राव सिरदार
निवासी –नारलाई , तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री यशपालसिंह राणावत– अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शंकरलाल परिहार, नायब तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 6/6/2024.

प्रार्थीयां द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राथीयां ने अपने आवेदन के साथ ग्राम गुडा अखेराज पटवार मण्डल केसूली की खाता संख्या 92 जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थीयां की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 379 रकबा 0.5500 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने जाने के लिए रास्ते हेतु भू–नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 344/442 रकबा 10.1200 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में सें आवागमन हेतु संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए से बी अनुसार रास्ते की मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2024/230 दिनांक 18.03.2024 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 21.05.2024 को मौका जाचं रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर...

सुधाकुंवर
प्रार्थीया

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2024/992 दिनांक 21.05.2024 के जरिये पटवार हल्का केसूली एवं भू-अभिलेख निरीक्षक नाडोल से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. यह कि मौजा ग्राम गुडा अखेराज, पटवार मण्डल केसूली के खसरा नम्बर 379 रकबा 0.5500 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीयां के नाम दर्ज है।
2. यह कि वर्तमान में प्रार्थीयां की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 379 में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. यह कि प्रार्थीयां ने अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते के लिए खसरा नम्बर कमशः 344/442 रकबा 10.12 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में से रास्ते मांग की है। वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन करते है।
4. खसरा नम्बर 378 रकबा 3.35 हेक्टर किस्म गे.मु. वाला खाता संख्या 1 तक रास्ता जाएगा। गे.मु. वाला की पूर्व दिशा में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि अवस्थित है।
5. यह कि प्रार्थीयां को ग्राम गुडा अखेराज के खसरा नम्बर 344/442 रकबा 10.12 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में से 7.5 मीटर चौडा एवं 200 मीटर लम्बा रास्ता दिये जाने पर कुल 0.1500 हेक्टर यानि 1500 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होगा जो रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार जाना उचित है।
6. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 153463/- प्रति हेक्टर है। जिसके अनुसार प्रभावित रास्ते ग्राम गुडा अखेराज का रकबा 1500 वर्गमीटर की राशि रूपये 23020/- बनती है। जिसकी डबल राशि रूपये 46040/- बनती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीयां अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थीयां की खातेदारी में आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीयां को ग्राम गुडा अखेराज के खसरा नम्बर कमशः 344/442 सिवायचक भूमि में से ट्रेश नक्शा में अंकित लाल स्याही अनुसार माठ के सहारे-सहारे कुल 1500 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीया की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम गुडा अखेराज के खसरा नम्बर 379 रकबा 0.5500 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने - जाने हेतु राजकीय सिवाचयक भूमि ग्राम गुडा अखेराज के खसरा नम्बर 344/442 रकबा 10.12 हेक्टर में से 7.5 x 200 = 1500 वर्गमीटर भूमि का रास्ता नक्शा ट्रेस

(हस्ताक्षर)

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सुधाकंवर
प्रार्थीया

Scanned with OKEN Scanner

में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थीया को 46040/- रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान राजकोष में जमा करना होगा। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 1500 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 46040/- प्रार्थीयां से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर प्रार्थीयां को खातेदारी भूमि ग्राम गुडा अखेराज के खसरा नम्बर 379 रकबा 0.55 हेक्टर भूमि किस्म बा.दो. में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम गुडा अखेराज खसरा नम्बर 344/442 रकबा 10.12 हेक्टर में से 7.5 x 200 = 1500 वर्गमीटर का रास्ता खसरा नम्बर 378 किस्म गे.मु. वाला तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 6/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा- ट्रेस किश्तवार
ग्राम- गुड़ा अखेराज
तहसील- देसूरी
जिला- पाली
पैमाना- 1 सेमी = ५० मीटर

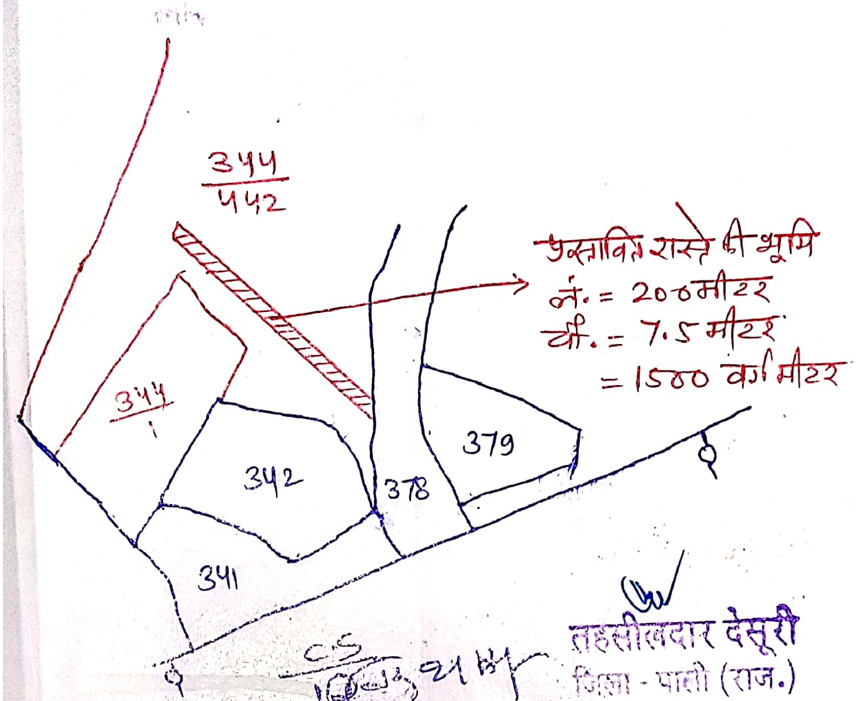

तहसीलदार देसूरी
जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सत्य-प्रतिलिपि
दिनांक 8.5.24
पी.35/7

केसूली

सुधाकुँवर
प्रार्थिया

8.5.2024

Scanned with OKEN Scanner